



**प्रेस विज्ञप्ति**  
**दिनांक:- 05.05.2021**

# महोबा पुलिस

**सोशल मीडिया सेल**



## **फायर सर्विस टीम द्वारा लगातार किया जा रहा है सैनेटाइजेशन का कार्य...।**

वैश्विक महामारी कोविड-19 के प्रसार को रोकने व जनपदवासियों को इस महामारी से बचाव के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में अग्निशमन टीम द्वारा जनपद में भिन्न-भिन्न स्थानों पर लगातार सैनेटाइजेशन का कार्य किया जा रहा है, जिसके क्रम में कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए आज दिनांक 05.05.2021 को प्रभारी अग्निशमन अधिकारी एवं फायर सर्विस टीम द्वारा कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु निम्न जगहों पर सैनेटाइजेशन का कार्य किया गया साथ ही सभी को संक्रमण के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है।

1. पुलिस अधीक्षक कार्यालय
2. पुलिस लाइन कार्यालय
3. पुलिस लाइन बैरिक
4. पुलिस लाइन आवास







**प्रेस विज्ञप्ति**  
**दिनांक:- 05.05.2021**

# महोबा पुलिस



**सोशल मीडिया सेल**

## **“एण्टी रोमियो टीम” द्वारा शहर में भ्रमण कर बालिकाओं/महिलाओं को बढ़ते कोरोना संक्रमण के प्रति किया सचेत एवं जरूरतमंदों को वितरित किये मास्क**

आज दिनांक 05.05.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में प्रभारी एण्टी रोमियो टीम निरीक्षक श्रीमती रचना सिंह मय टीम द्वारा शहर के मुख्य बाजार/मोहल्लो में भ्रमण कर बढ़ते कोरोना संक्रमण के प्रति बालिकाओं/महिलाओं को सचेत करते हुए उन्हें अपने घरों पर ही रहने की हिदायत दी गई एवं घरों से बाहर निकलते समय मास्क लगाने व भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर 02 गज की दूरी बनाये रखने को कहा गया, साथ ही बार-बार अपने नाक/मुँह को छुने से बचे व हाथों को नियमित अन्तराल में सैनेटाइज करने, साबुन/पानी से धोते रहने की सलाह दी गई, इसके साथ ही जो लोग बेवजह भीड़ लगाये बैठे थे उन्हें घर में रहने की सख्त हिदायत देते हुये छोड़ा गया, बस स्टैण्ड पर बैठे हुये लोगों से पूंछताछ की गयी और सभी से यात्रा के दौरान विशेष सावधानी बरतने की अपील की गयी इसी क्रम में महिलाओं एवं बालिकाओं को नारी शक्ति का अहसास कराते हुए अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया, इस दौरान टीम द्वारा कई जरूरतमंदों को मास्क का वितरण भी किया गया।







**प्रेस विज्ञप्ति**  
**दिनांक:- 05.05.2021**

# महोबा पुलिस

**सोशल मीडिया सेल**



## आंशिक लॉकडाउन/कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने को बढ़ाई गई सख्ती...

कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को कम करने के लिए उ0प्र0 सरकार द्वारा लगाए गए आंशिक लॉकडाउन/कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन पर आज दिनांक 05.05.2021 को जनपदीय पुलिस के उच्चाधिकारीगण मय फोर्स के साथ सड़क पर मुस्तैद रहे तथा महोबा मुख्यालय क्षेत्र में पुलिस ने अनावश्यक घूमने वालों को रोककर सख्ती से पूछताछ की और कड़ी चेतावनी देकर जाने दिया गया, लॉकडाउन के चलते समूचे कस्बे की दुकानें बंद रहीं, दवा की दुकानों का संचालन किया जा रहा है। जनपदीय पुलिस द्वारा कई टीमों बनाकर मुख्य मार्ग पर गुजरने वालों को रोककर पूछताछ की जा रही है तथा बिना हेलमेट व बिना मास्क वालों का चालान भी किया जा रहा है, साथ ही टीम द्वारा बैंकों में जाकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया लोगो से हाथों को नियमित अन्तराल में सैनेटाइज करते रहें एवं साबुन/पानी से धोते रहने व सोशल डिस्टेंस बनाये रखने की अपील की गयी।

इस दौरान क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय द्वारा मय यातायात पुलिस व थाना कोतवाली पुलिस बल के साथ चेकिंग अभियान चलाया गया तथा क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री उमेश चन्द्र द्वारा मय फोर्स के साथ बैंक, मार्केट, मेडिकल स्टोर, हॉस्पिटल को चेक किया गया जिसमें आंशिक लॉकडाउन/कोविड प्रोटोकॉल का पालन सख्ती से कराया गया।







**प्रेस विज्ञप्ति**  
**दिनांक:- 05.05.2021**

# महोबा पुलिस

**सोशल मीडिया सेल**



**क्षेत्राधिकारी नगर एवं चरखारी द्वारा पैदल गस्त करके लोगों को लॉकडाउन का पालन करने के प्रति जागरूक किया गया**



आज दिनांक 05.05.2021 को प्रभारी पुलिस अधीक्षक महोबा श्री आर0 के0 गौतम के कुशल निर्देशन में वैश्विक महामारी **कोविड-19** के प्रसार को रोकने हेतु उ0प्र0 शासन द्वारा राज्य में आंशिक लॉकडाउन लगाया गया है जिसको सफल बनाने हेतु सीओ सिटी श्री रामप्रवेश राय एवं सीओ चरखारी श्री उमेश चन्द्र मय जनपदीय पुलिस बल के साथ थाना क्षेत्रों में पैदल गस्त करके आमजन व दुकानदारों को लॉकडाउन के प्रति जागरूक करते हुए पालन करने की अपील की गई, इस दौरान लोगों से घरों में रहने व व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को बन्द रखने की हिदायत दी गई। लोगों को जागरूक करते हुए **“02 गज की दूरी मास्क है जरूरी”** का संदेश दिया गया। कोविड-19 नियमों के उल्लंघन पर **37 ई-चालान व 38 वाहनों से 10300/- रु0 शमन शुल्क वसूला गया।**

